कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक 793 **/ओबरा/15 भू0ह0** **दिनांक–**27-09-**2023.**

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।

विषयः– पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत पैकेज संख्या–यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित होने वाले 15.567हे0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव। (प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0पी0/रोड/117639/2021)

सन्दर्भः– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र का पत्रांक–852/यू0पी0 67145–पी0एम0जी0एस0वाई0/2023 दिनांक–24.08.2023, इस कार्यालय के पत्रांक–655/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–11.09.2023 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने कार्यालय के पत्रांक–820/11–सी दिनांक–25.09.2023.

महोदय,

अवगत कराना है कि आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक सम्पर्क मार्ग का प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। जिसे इस कार्यालय के पत्रांक–655/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–11.09.2023 द्वारा उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया गया। प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने कार्यालय के पत्रांक–820/11–सी दिनांक–25.09.2023 द्वारा निम्नलिखित आपत्ति लगायी गयी हैः–

आनलाइन पार्ट–1 में प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर पर पायी गयी कमियॉः–

1. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी जाने वाली गैर वनभूमि का Gio Referenced Digitail Map & SoI Toposheet अपलोड है किन्तु सत्यापित नहीं है।
2. सी0ए0 हेतु दी जाने वाली गैर वनभूमि सभी प्रकार से अतिकमण एवं अधिभार से मुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।
3. पावर ऑफ एटर्नी अपलोड है किन्तु उसमें श्री प्रशान्त यादव, अधिशासी अभियन्ता को अधिकृत किया गया है, जबकि कमांक–ए–3 में श्री रमेंश चन्द्र कटियार का नाम फीड है तथा सभी अभिलेखों में कहीं पर श्री प्रशान्त यादव एवं कहीं पर श्री रमेंश चन्द्र कटियार के हस्ताक्षर है, जोकि त्रुटिपूर्ण है।

आनलाइन पार्ट–2 में प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर पर पायी गयी कमियॉः–

1. ऑनलाइन कमांक–13(i) एवं 13(ii) Patch wise details for Degraded Area में दुगने अवनत वन भूमि के Gio Referenced Digitail Map & SoI Toposheet के स्थान पर गैर वनभूमि Gio Referenced Digitail Map & SoI Toposheet अपलोड किया गया है। अतः इसे डिलिट कर दुगने अवनत वनभूमि का सत्यापित Gio Referenced Digitail Map & SoI Toposheet आनलाइन अपलोड करें।

2. ऑनलाइन क्रमांक 13(iv) में अपलोड प्राक्कलन 625 पौधों की दर से है, जोकि अमान्य है। अतः इसे आनलाइन से डिलिट कर कम से कम 1000 पौधे प्रति हे0 दर से गैर वनभूमि एवं अवनत वनभूमि का प्राक्कलन सारांश सहित अपलोड करें एवं Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन डिलिट करें तथा सही धनराशि भी अपलोड करें।
3. प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का हिन्दी भाग–2 में उपरोक्त बिन्दु–2 के अनुसार संशोधित धनराशि अंकित कर संशाधित हिन्दी भाग–2 ऑनलाइन अपलोड करें।
4. पूर्ण प्रस्ताव की संशाधित पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड करें।

उक्त के क्रम में महोदय से अनुरोध है कि आप मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने कार्यालय के पत्रांक–820/11–सी दिनांक–25.09.2023 द्वारा लगायी गयी उपरोक्त आपत्तियों को निस्तारित करते हुए, वांछित समस्त अभिलेख आनलाइन अपलोड करने का कष्ट करें। अवलोकन हेतु मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुराग प्रियदर्शी)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या– 793 **अ/समदिनांकित।**

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुराग प्रियदर्शी)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 820 /11–सी–FP/UP/Road/117639/2021, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 25 ,2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत स्वीकृत पैकेज सं0–यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.667 है0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–1123/मी0क्षे0/33, दिनांक 20.09.2023

महोदय,

आपके द्वारा विषयगत ऑनलाइन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। ऑनलाइन प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

ऑनलाइन पार्ट–1 में प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर पर पायी गयी कमियाँः–

1. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली गैर वनभूमि का Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet अपलोड है, किन्तु सत्यापित नहीं है।
2. सी0ए0 हेतु दी जाने वाली गैर वनभूमि सभी प्रकार के अतिक्रमण एवं अधिभार से मुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।
3. पावर ऑफ एटार्नी अपलोड है किन्तु उसमें श्री प्रशान्त यादव, अधिशासी अभियन्ता को अधिकृत किया गया है, जबकि क्रमांक–ए–3 में श्री रमेश चन्द्र कटियार का नाम फीड है तथा सभी अभिलेखों में कही पर श्री प्रशान्त यादव एवं कही पर श्री रमेश चन्द्र कटियार के हस्ताक्षर है, जोकि त्रुटिपूर्ण है।

ऑनलाइन पार्ट–2 में प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर पायी गयी कमियाँः–

1. ऑनलाइन क्रमांक–13(i) एवं 13(ii) Patch wise details for Degraded Area में दुगने अवनत वनभूमि के Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet के स्थान पर गैर वनभूमि Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet अपलोड किया गया है। अतः इसे डिलिट कर दुगने अवनत वनभूमि का सत्यापित Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet ऑनलाइन अपलोड करें।
2. ऑनलाइन क्रमांक–13(iv) में अपलोड प्राक्कलन 625 पौधों की दर से है, जोकि अमान्य है। अतः इसे ऑनलाइन से डिलिट कर कम से कम 1000 पौधे प्रति है0 दर से गैर वनभूमि एवं अवनत वनभूमि का प्राक्कलन सारांश सहित अपलोड करें एवं Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन डिलिट करें तथा सही धनराशि भी फीड करें।
3. प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का हिन्दी भाग–2 में उपरोक्त बिन्दु–2 के अनुसार संशोधित धनराशि अंकित कर संशोधित हिन्दी भाग–2 ऑनलाइन अपलोड करें।
4. पूर्ण प्रस्ताव की संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड करें।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् बिन्दुवार निराकरण ऑनलाइन अपलोड कर पूर्ण ऑनलाइन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 820 /11–सी–FP/UP/Road/117639/2021, दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

P-1279